संख्या-582 /2025/190 के-2/22-3-2025-17(331)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 23 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शीलचन्द्र उर्फ बौरा पुत्र श्री रूपनारायन यादव, निवासी जनपद-ललितपुर की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025(बैठक दिनांक 21.01.2025) दिनांक-30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शीलचन्द्र उर्फ बौरा (बंदी सं0-15484) पुत्र श्री रूपनारायन यादव, जो-ग्राम बर्जरा, थाना-महरौली, जनपद-ललितपुर का निवासी है। दिनांक 27.02.2009 को वादी के पुत्र शोभित जैन (आयु 09 वर्ष) को मुहल्ले में खेलते समय अभियुक्त ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण कर रू0-03 लाख की फिरौती की मांग की। उक्त मांग पूरी न होने के कारण शोभित जैन की हत्या कर शव को बोरे में डालकर पटरी पर रख दिया एवं सुघाने वाली शीशी झाड़ियों में छुपा दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं**0-79**/2009 में भा**0**द**0**वि**0** की धारा-364ए/34, **302/34**, **201** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (ड0प्र0क्षे0अधि0), ललितपुर के आदेश दिनांक **25.07.2011** द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की आयु जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.01.2025 तक लगभग 39 वर्ष है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके।

सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 27.02.2009 को वादी के पुत्र शोभित जैन (आयु 09 वर्ष) को मुहल्ले में खेलते समय अभियुक्त ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपहरण कर रू0 03 लाख की फिरौती की मांग की। उक्त मांग पूरी न होने के कारण शोभित जैन की हत्या कर शव को बोरे में डालकर पटरी पर रख दिया एवं सुघाने वाली शीशी झाड़ियों में छुपा दी। मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलित्त उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या / संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०स० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शीलचन्द्र उर्फ बौरा पुत्र रूपनारायन यादव को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शीलचन्द्र उर्फ बौरा (बंदी सं0-15484) पुत्र श्री रूपनारायन यादव, निवासी जनपद-ललितपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।